

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति माह 05/2021

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुल लम्बित वाद	83	3911	526	422	1962	6904	381
2	प्रतिशपथ पत्र दाखिल	60	3582	499	404	1875	6420	364
3	कुल अवशेष वाद	23	329	27	18	87	484	17
4	आवश्यकता नहीं	17	131	0	2	48	198	2
5	अवशेष वाद	6	198	27	16	39	286	15

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)  
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(नीरज कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता (वि0 प्र0)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ  
विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार वादों की अद्यतन स्थिति माह 05-2021

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा० सर्वोच्च न्यायालय				मा० उच्च न्यायालय				मा० लोक सेवा अधिकरण				मा० श्रम न्यायालय				अन्य			
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	सिविल संगठन																				
1	मु०अ०शारदा सहा० लखनऊ	5	3	1	1	401	368	22	11	43	39	4	_	33	32	0	1	282	280	0	2
2	मु०अ०, सोन, वाराणसी	6	5	1	_	350	328	20	2	45	45	0	_	11	11		_	337	333	3	1
3	मु०अ०, गंगा, मेरठ	6	6	0	_	180	172	8	_	21	18	3	0	11	11		_	223	221	2	-
4	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	4	4	0	_	202	190	12	_	51	49	2	_	83	75	8	_	156	151	5	_
5	मु०अ०, शारदा, बरेली	_	_	_	_	166	156	8	2	32	28	4	0	11	11	0	_	64	64	0	-
6	मु०अ०, यमुना ओखला नई दिल्ली	15	13	2	_	196	184	12	_	16	15	1	-	6	6	-	-	154	148	6	-
7	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	3	3	_	_	146	132	9	5	30	30	0	_	41	36	4	1	119	113	3	3
8	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	3	3	0	_	177	152	9	16	38	38	0	_	33	33	0	_	166	161	2	2
9	मु०अ०, परि०वेतवा, झांसी	2	2	_	_	125	108	17	0	8	6	2	_	23	23	-	_	44	43	1	-
10	मु०अ०, मध्य गंगा, अलीगढ़	4	3	0	1	118	103	3	12	19	12	7	_	19	19		_	66	44	6	16
11	मु०अ०, वेतवा, झांसी	1	1	0	_	117	111	6	_	13	12	1	_	25	21	4	_	50	44	6	_
12	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	2	1	_	1	102	85	2	15	12	12	_	0	2	2	_	_	51	46	1	4
13	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	4	4	0	_	78	66	12	_	20	18	2	_	7	7	0	_	52	50	3	_
14	मु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	1	1	_	_	39	30	3	6	5	5	0	_	2	2	_	_	21	20	1	_
15	मु०अ०कनहर, मिर्जापुर		-	-	-	33	33	0	-	0	0	_	_	0	0	-	-	2	2	-	_
16	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	_	_	_	_	20	17	3	0	3	3	_	_	0	0	_	_	_	_	_	_
17	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	_	_	_	_	24	22	1	1	26	26	0	_	0	0	0	_	0	0	_	0
18	मु०अ०, जल संसाधन, लखनऊ	_	_	_	_	20	20	0	_	3	3		_	5	5	_	_	-	-	-	_
19	मु०अ०, अनु० एवं सम० वा० सहा० लखनऊ	_	_	_	_	11	11	0	0	4	4	0	_	1	1	_	_	4	4	_	_
20	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अयोध्या	-	-	-	-	7	7	0	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अलीगढ़	_	_	_	_	9	8	1	-	3	3	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
22	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, (बाद) लखनऊ	_	_	_	_	4	4	0	_	1	1	_	_	_	_	_	_	1	1	_	_
23	नि०उ० प्र० जल एवं भू० प्र० सं० लखनऊ	0	0	_	_	4	2	0	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
24	मु०अ०, आई०एस०ओ०, लखनऊ	_	_	_	_	2	2	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
25	मु०अ०, अनु० एवं मूल्यांकन लखनऊ	_	_	_	_	2	1	1	_	3	2	1	0	_	_	_	_	1	1	0	_
26	मु०अ०, राज्य अभियन्त्रण अकादमी, ओखला, नई दिल्ली	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	<b>योग</b>	<b>56</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2533</b>	<b>2312</b>	<b>149</b>	<b>72</b>	<b>397</b>	<b>370</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>301</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>1793</b>	<b>1726</b>	<b>39</b>	<b>28</b>

यांत्रिक संगठन																					
27	मु0अ0,नलकूप वाराणसी	4	4	0	-	353	325	28	0	20	20	0	0	18	18	0	-	44	42	0	2
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	6	6	0	0	295	294	0	1	30	30	0	-	9	9	-	-	36	36	-	-
29	मु0अ0,नलकूप मध्य, लखनऊ	1	1	-	-	342	332	10	-	38	38	0	-	30	30	-	-	32	32	0	-
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	4	0	2	2	280	242	9	29	34	34	0	-	25	25	0	-	48	31	0	17
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	12	0	-	12	108	77	2	29	7	7	0	-	21	21	0	0	9	8	0	1
	योग	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1378</b>	<b>1270</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	महायोग	<b>83</b>	<b>60</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>3911</b>	<b>3582</b>	<b>198</b>	<b>131</b>	<b>526</b>	<b>499</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>404</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>1962</b>	<b>1875</b>	<b>39</b>	<b>48</b>

आवश्यकता

कुल लम्बित वाद - 6904

प्रतिशपथ दाखिल- 6420

अवशेष- 285

नही- 198

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)  
सहायक अभियन्ता (वि0प्र0)

(नीरज कुमार)  
अधिसासी अभियन्ता (वि0प्र0)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ  
विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार अवमाननावादों की अहूतन स्थिति माह 05-2021

	संगठन का नाम	मा0 सर्वोच्च न्यायालय				मा0 उच्च न्यायालय				मा0 लोक सेवा अधिकरण				मा0 श्रम न्यायालय				अन्य			
		कूल वाद	दाखिल	शेष	आ0न	कूल वाद	दाखिल	शेष	आ0न	कूल वाद	दाखिल	शेष	आ0न	कूल वाद	दाखिल	शेष	आ0न	कूल वाद	दाखिल	शेष	आ0न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	सिविल संगठन																				
1	मु0अ0शारदा सहा0 लखनऊ	-	-	-	-	36	36	0	-	8	7	1	-	2	2	-	-	8	8	-	-
2	मु0अ0, सरयू-1, अयोध्या	-	-	-	-	22	22	0	-	3	3	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-
3	मु0अ0, गण्डक, गोरखपुर	-	-	-	-	19	19	0	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	मु0अ0, सोन, चाराणसी	-	-	-	-	28	28	-	-	3	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मु0अ0, शारदा, बरेली	-	-	-	-	8	7	1	0	10	10	0	-	-	-	-	-	2	2	-	-
6	मु0अ0, रामगंगा, कानपुर	-	-	-	-	15	15	0	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
7	मु0अ0, यमुना ओखला नई दिल्ली	-	-	-	-	11	10	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	मु0अ0, गंगा, मेरठ	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा	-	-	-	-	4	4	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	मु0अ0, मध्य गंगा, अलीगढ़	-	-	-	-	6	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मु0अ0, बेतवा, झांसी	-	-	-	-	3	2	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	मु0अ0, बाणसागर, प्रयागराज	-	-	-	-	10	7	3	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	मु0अ0, अनु0 एवं सम0 वा0 सहा0 लखनऊ	-	-	-	-	1	1	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	मु0अ0, पूर्वी गंगा, मुरादाबाद	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	मु0अ0, परि0 बेतवा, झांसी	-	-	-	-	2	2	0	-	4	3	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-
16	मु0अ0 कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	मु0अ0, अग्रिम नियो0, लखनऊ	-	-	-	-	3	1	2	0	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मु0अ0, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	2	1	1	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अलीगढ़	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20	मु0अ0, जल संसाधन, लखवऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अयोध्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	मु0अ0,अनु0 एवं नियो0,(बाढ) लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	-	-	-	-	0	-	0	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी.ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>170</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	यांत्रिक संगठन																				
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	-	-	-	-	32	32	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0,नलकूप मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	32	32	0	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	मु0अ0,नलकूप वाराणसी	-	-	-	-	33	31	0	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	18	18	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	-	-	-	-	12	12	0	-	2	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	महायोग	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>295</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

अवशेष

- 15

आवश्यकता

नही- 2  
प्रतिहस्ताक्षरित

कुल लम्बित वाद - 381

प्रतिशपथ दाखिल- 364

(विक्रान्त कुमार)

सहायक अभियन्ता (वि0प्र0)

(नीरज कुमार)

अधिशासी अभियन्ता (वि0प्र0)

(कुमार विप्लव)

अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)

मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

## सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

## विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अन्तिम/अनन्तिम आदेशों के अनुपालन की स्थिति माह 05-2021

क्र०सं 0	संगठन का नाम	कुल लम्बि त वाद	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम/अनन्ति म आदेश पारित किये गये।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम/अनन्ति म आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम/ अनन्तिम आदेशों का अनुपालन किया जाना शेष है।	वादों जिनमें अनुपालन शेष है।					वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है।	वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है।
						जिनमें रिब्यू/स्पेशल अपील मा० उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है।	जिनमें एस०एल०पी ० दायर है।	वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।	वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु लम्बित है।			
									विभाग स्तर पर	शासन स्तर पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मु०अ०शारदा सहा० लखनऊ	153	126	126	27	21	0	-	4	2	-	-
2	मु०अ०, सोन, वाराणसी	748	47	40	7	0	-	1	1	3	-	-
3	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	22	22	20	2	-	-	-	-	-	-	-
4	मु०अ०, गंगा, मेरठ	441	51	42	9	1	0	-	3	5	0	-
5	मु०अ०, शारदा, बरेली	120	47	23	24	0	-	-	0	0	-	-
6	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	339	13	6	1	5	1	-	-	0	1	1
7	मु०अ०, यमुना ओखला नई दिल्ली	386	269	253	16	10	9	-	2	6	2	2
8	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	416	28	20	8	-	-	-	-	-	-	-
9	मु०अ०, परि०बेतवा, झांसी	3	3	2	1	-	-	1	-	1	-	-
10	मु०अ०, मध्य गंगा, अलीगढ़	227	25	19	6	-	-	0	-	-	-	-
11	मु०अ०, बेतवा, झांसी	14	14	14	0	-	-	-	-	-	-	-
12	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	47	4	4	0	-	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	7	0	2	5	3	-	-	1	-	-	-
14	मु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	3	2	1	1	-	0	-	-	-	1	-
15	मु०अ०कनहर, मिर्जापुर	35	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	50	3	48	-	-	-	-	-	0	1	-
17	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	2	1	1	0	-	1	-	-	-	-	-
18	मु०अ०, जल संसाधन, लखनऊ	58	8	5	1	1	1	-	-	-	-	-
19	मु०अ०, अनु० एवं सम० वा० सहा० लखनऊ	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अलीगढ़	20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अयोध्या	8	3	8	5	0	-	-	-	-	-	-
22	मु०अ०, अनु० एवं नियो० (बाद), लखनऊ	6	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-

23	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	1	1	0	1	-	-	-	-	1	-	-
25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	6	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
26	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी.ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	333	315	305	10	9	2	-	3	2	0	-
28	मु0अ0,नलकूप वाराणसी	439	52	20	32	25	1	0	3	1	2	-
29	मु0अ0,नलकूप मध्य, लखनऊ	605	165	110	57	55	0	0	2	2	3	0
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	391	47	19	28	17	1	8	0	1	1	0
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	157	50	5	44	31	12	1	3	1	1	-
	योग	5062	1323	1100	287	178	28	11	22	25	12	3

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)  
सहायक अभियन्ता (वि0प्र0)

(नीरज कुमार)  
अधिसासी अभियन्ता (वि0प्र0)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालयवार अवमाननावादों का विवरण जिसमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। माह 05-2021

क्रम संख्या	संगठन का नाम	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	श्रम न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मु0अ0, बाणसागर, प्रयागराज	0	3	0	0	0	3
2	मु0 अ0 (यमुना) ओखला	0	1	0	0	0	1
3	मु0अ0, (परिकल्प) लखनऊ	0	1	0	0	0	1
4	मु0अ0(अग्रिम नियोजन)लखनऊ	0	2	1	0	0	3
5	मु0अ0 (बेतवा) झांसी	0	1	0	0	0	1
6	मु0अ0 (शारदा) बरेली	0	1	0	0	0	1
7	मु0अ0, शारदा सहायक, लखनऊ	0	0	1	0	0	1
8	मु0अ0, (परियोजना बेतवा) झांसी	0	0	1	0	0	1
9	मु0अ0, (सरयू-2) गोण्डा	0	0	1	0	0	1
10	मु0अ0, अनु0 एवं मूल्यां0, लखनऊ	0	0	1	0	0	1
11	मु0 अ0 (गण्डक) गोरखपुर	0	0	1	0	0	1
	योग	0	9	6	0	0	15

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)  
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(नीरज कुमार)अधिशासी  
अभियन्ता (वि0 प्र0)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)



सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 05/2021 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्रम संख्या	मण्डल खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद नाम	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज									
01	बासाननिखं-1, प्रयागराज	2245/2019	शालिनी यादव व अन्य	श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, सचिव उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ	11039/2018	रिट याचिका संख्या- 11039/2018 में दिनांक-16-01-2020 को पारित आदेश का अनुपालन न किये जाने पर अवमाननावाद दाखिल किया गया है।	-	रिट याचिका संख्या- 11039/2018 में दिनांक-16-01-2020 को पारित आदेश का अनुपालन न किये जाने पर अवमाननावाद दाखिल किया गया है। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक- 2392/(1)ई-7/दिनांक- 25-09-2019 के द्वारा मा0 न्यायालय के पारित आदेश की अनुपालना कर दी गयी है। मा0 न्यायालय को अनुपालना से अवगत कराने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता के फाइल (अवमाननावाद संख्या-2245/2019 शालिनी यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य) में रख दिया गया है। सुनवाई तिथि को स्थायी अधिवक्ता द्वारा मा0 न्यायालय को अवगत करा दिया जायेगा। सम्भावित तिथि लिस्ट पर नहीं है।	-

2	बासाननिखं-7, मिर्जापुर	48/2021	महेश नरायण	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाध विभाग उ0प्र0, लखनऊ	55607/2008	दिनांक-19-12-2019 को पुरानी पेंशन बहाली का आदेश दिया गया		अवमाननावाद का प्रस्तरवार आख्या तैयार कर शासन/उच्चाधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। अनुमति प्राप्त होते ही प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया जायेगा।	
3	बासाननिखं-7, मिर्जापुर	64/2021	कमलेश कुमार सोनकर	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाध विभाग उ0प्र0, लखनऊ	55606/2008	दिनांक-19-12-2019 को पुरानी पेंशन बहाली का आदेश दिया गया		अवमाननावाद का प्रस्तरवार आख्या तैयार कर शासन/उच्चाधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। अनुमति प्राप्त होते ही प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया जायेगा।	

### मुख्य अभियन्ता (यमुना) ओखला।

04	हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला	4361/2016	श्रीमती ओमवती व 15 अन्य	उत्तर प्रदेश सरकार		वादी द्वारा धारा 24 (2) के लाभ हेतु मा0 न्यायालय में रिट दायर की गयी जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिये है- “we dispose of the writ petition giving liberty to the petitioner to make an application /representation before respondent no. 1 with in a period of two weeks from today annexing therewith all the relevant documents in support of there claim with the direction to the authority concerned to consider and decide the same in accordance with the law and and procedure		दिनांक- 19-04-2016 को प्रतिवादियों द्वारा उक्त याचिका की गई तथा दो दिन बाद ही दिनांक-21-04-2016 को मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका में निम्न आदेश दिये है- “we dispose of the writ petition giving liberty to the petitioner to make an application /representation before respondent no. 1 with in a period of two weeks from today annexing therewith all the relevant documents in support of there claim with the direction to the authority concerned to consider and decide the same in accordance with the law and and procedure prescribed by the reasoned and speaking order within a period of two months from the date of making representation.”	
----	-------------------------------	-----------	-------------------------	--------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						prescribed by the reasoned and speaking order within a period of two months from the date of making representation."			
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**

05	निदेशक, केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ/समन्वयकारी एवं जाँच खण्ड, लखनऊ	741/2020	बलराम, वर्क सुपरवाइजर	कुँ उपेन्द्र नाथ निदेशक, के0प0नि0, लखनऊ	1964/1993	रिट याचिका संख्या-1964/एस0एस0/1993 में दिनांक-30-07-2019 को मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन होने न पर अवमाननावाद दाखिल किया गया।	शासकीय अनिमति हेतु प्रकरण सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-7, में विचाराधीन	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (कार्यप्रभारित अधिष्ठान प्रकोष्ठ) गंगा सिंचाई भवन तेलीबाग लखनऊ के पत्रांक-444/का0प्र0अ0प्र0/कोर्टकेस, दिनांक-27-02-2021 के द्वारा अवमाननावाद पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु शासकीय अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रकरण सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-7, में विचाराधीन है। शासकीय अनुमति मिलने पर अमाननावाद संख्या-741/2020 पर प्रतिशपथ पत्र मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं है।
----	-------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------	-----------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**

06	अनु0 एवं नियो0 मण्डल-4, लखनऊ	552/2020	शुभा सिंह	श्री विजय कुमार बसेडिया मुख्य अभियन्ता	रि0या0सं0-2473/एस0एस0/2016	मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-05-02-2016 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुपालन शेष है। प्रतिशपथ-पत्र की	पिछली सुनवाई की तिथि-25-02-2020 निर्धारित थी अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं है। विवाहित पुत्री को मृतक आश्रित के अन्तर्गत सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता
----	------------------------------	----------	-----------	----------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							आवश्यकता नहीं।	(कर्मक-4/6) द्वारा शासन से शासकीय आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया जा रहा है। अनुपालन किया जाना प्रक्रियाधीन है।	
07	अनु0 एवं नियो0 मण्डल-4, लखनऊ	1648/2020	कपिल किशोर लाल	श्री जितेन्द्र सिंह कन्नौजिया	रि0या0सं0-6190/एस0एस0/2020	-	अनुपालन आख्या स्थायी अधिवक्ता को प्रेषित कर दी गयी है।	याची श्री कपिल किशोर लाल, एकाउण्टेन्ट के देयको के सम्बन्ध में। पिछली सुनवाई की तिथि 01-12-2020 निर्धारित थी। अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं।	

**मुख्य अभियन्ता (बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।**

08	-	1483/सी/2020	श्री हरचरण मेट	प्रमुख सचिव, उ0 प्र0, सरकार	34506/2016	मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-09-02-2020 प्रेम सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा याचीगणों की वर्क चार्ज की सेवा को नियमित अधिष्ठान में जोड़ते हुए समस्त क्लेमों का भुगतान करने के आदेश दिये गये हैं।	-	कार्यवाही की जा रही है।	-
----	---	--------------	----------------	-----------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------	---

**मुख्य अभियन्ता (शारदा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली**

09	लखनऊ खण्ड-2, शा0न0 लखनऊ	1548/सी/201 6	श्री शेर सिंह कम्बोज	श्री सी0के वर्मा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई	4173/एस0बी 0/2016	प्रत्यावेदन निस्तारित किया जायें	मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। अनुपालन कॉपी कोर्ट की फाईल में लगाई जा चुकी है। प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने कोई ओचित्य नहीं है। सहायक अभियन्ता- प्रथम को स्थाई अधिवक्ता से सम्पर्क सीपित कर वाद को समाप्त कराने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा चुका है।	प्रोन्नति के सम्बन्ध में।	सिं0अनु 0-2
----	----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------

मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10	बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर बाराबंकी	133/सी/2019	श्री साबिर अली	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव सिंचाई	निर्देश याचिका सं0- 773/2014	निर्णय दिनांक-20-04- 2019 का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में।	-	विधिक कार्यवाही की जा रही है।	-
----	----------------------------------------------	-------------	-------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------	---

मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा) झांसी।

11	मौ0बां,नि0 खं0-1 महोबा	312/2019	श्री महेन्द्र सिंह	टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई	1923/ 2017	<p>After appreciating each and every aspects of the matter i am of the considered opinion that the judgment and order under reference erroncous and the same may be challenged before te hon'ble High Court in writ petition under articale 226 of the constitution of India for which the matter may be referred to the Law department for necessary permission with the reasonable explanation regarding the caused in filling of the wirt petition न्याय विभाग की विधिक राय न प्राप्त होने के कारण प्रतिशपथ पत्र नहीं दाखिल हो सका कार्यवाही प्रगति में है।</p>	<p>प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</p>	<p>श्री महेन्द्र सिंह द्वारा वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में अनेकों रिट मा0 लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में दायर की गयी, जिसमें दिनांक 16-10-2017 को न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में दिये गये निर्णय से याचीकर्ता श्री महेन्द्र सिंह असंतुष्ट रहे तथा उनके द्वारा पुनः निर्देश याचिका संख्या-1923/2017 योजित की गयी। उक्त वाद में अधि अभि0 मौ0बां0नि0ख0-प्रथम, महोबा ने पैरोकारी करते हुये लिखिल विवेचन/प्रतिशपथ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के माध्यम से मा0 लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक-28-03-2019 को याचीकर्ता श्री महेन्द्र सिंह के पक्ष में मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध रिट याचिका योजित की जानी है अथवा नहीं के सम्बन्ध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ से परामर्श लेने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया। मा0 न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने से पूर्व उक्त रिट याचिका पर अनुपालना न होने के कारण अवमाननावाद सं0-312/2019 श्री टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, योजित हुआ। अवमाननावाद में शासन स्तर से न्याय विभाग द्वारा उक्त के क्रम में कतिपय संविधायें की गयी है। जिसकी कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रिया में है। सुनवाई की आगामी तिथि प्रतीक्षित है।</p>	
----	------------------------------	----------	-----------------------	------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**मुख्य अभियन्ता (सरयू-2) गोण्डा ।**

12	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	002/2020	श्री राजवन्त शर्मा	उ0 प्र0 राज्य व 0अन्य	1533/2019	दिनांक- 16-09-2019 मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन न होने के कारण अवमाननावाद दायर किया गया।		शासन स्तर पर ए0सी0पी0 स्वीकृत किये जाने हेतु वर्तमान समय में समिति का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही अनुपालन आख्या दाखिल कर दिया जायेगा। सुनवाई तिथि 10/06/2021 को निर्धारित है।	
----	-----------------------------	----------	--------------------	-----------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।**

13	मूल्य नियन्त्रण प्रकोष्ठ लखनऊ	285/2019	सोहन लाल सिंह, अवर अभियन्ता	1-टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियन्ता श्री रंजनलाल मिश्रा, पेंशन निदेशालय	निर्देश याचिका- 544/2017	सेवा जोड़ा जाना एवं तदर्थ लाभ दिया जाना	कार्यवाही की जा चुकी है।	अवमाननावाद याचिका संख्या- 285/2019 सोहन लाल सिंह बनाम श्री टी0 वेकटेश व अन्य में सुनवाई की अगली तिथि- 07-05-2021 निर्धारित है।	अनुभाग- 7
----	-------------------------------	----------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर।**

14	बाढ़ खण्ड गोरखपुर	173/सी/2020	श्री बेचन शाह, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर	श्री टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई उ0 प्र0 शासन, लखनऊ	2135/2019	-	-	वादी के विरुद्ध इस खण्ड के अन्तर्गत जांच कार्यवाही संस्थित थी। शासन स्तर से जांच कार्यवाही लम्बित रहने के कारण वादी के सेवानिवृत्तिक देयकों का सेवानिवृत्ति उपरान्त भुगतान नहीं किया जा सका, जिसके कारण समय से प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया जा सका।	-
----	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

**मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) लखनऊ।**

15	अनु० एवं नियो० मण्डल- 4, लखनऊ	188/2016	सुशील कुमार जिन्दल	श्री सुरेश चन्द्रा व अन्य	निर्देश याचिका संख्या- 788/2004	-	अनुपालन शेष है।	याची से० नि० मुख्य अभियन्ता के उपादान, पेंशन एवं राशिकरण के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज से सम्बन्धित है अनुपालन व्याज के भुगतान हेतु अनुमति के सम्बन्ध में आगणन सीट शासन को प्रेषित की जा चुकी है। पिछली सुनवाई की तिथि दिनांक- 08- 04-2021 निर्धारित थी।
----	----------------------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	------------------------------------------	---	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)  
सहायक अभियन्ता (वि०प्र०)

(नीरज कुमार)  
अधिशायी अभियन्ता (वि०प्र०)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि० प्र०)

(के० बी० लाल)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)



संशोधित मासिक सूचना मई, 2021

विभाग का नाम- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ  
मा० न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

क्र० सं०	माह जनवरी 2012 से माह मई 2021 तक उच्च न्यायालय में योजित (लम्बित) वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह मई 2021 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष है।			अभियुक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1551	1116	2667	1433	999	2432	98	54	152	22 वाद मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 61 वाद मा० उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 22+61 = 83

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)  
सहायक अभियन्ता (वि० प्र०)

(नीरज कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता (वि० प्र०)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि० प्र०)

(के० बी० लाल)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

विभाग का नाम- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ  
मा० न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

क्र० सं०	संगठन	माह जनवरी 2012 से माह मई 2021 तक उच्च न्यायालय में योजित (लम्बित) वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह मई, 2021 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष है।			अभियुक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
											10
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	1	19	20	1	19	20	0	0	0	
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	
3	मु०अ०, अनु० एवं नियो० (बाद), लखनऊ	0	4	4	0	4	4	0	0	0	
4	मु०अ०, अनु० एवं सम० वा० सहा० लखनऊ	3	7	10	3	7	10	0	0	0	
5	मु०अ०, अनु० एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	106	23	129	95	22	117	11	1	12	
7	मु०अ० शारदा सहा० लखनऊ	59	216	275	50	142	192	2	18	20	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में तथा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 56 वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (07+56=63)
8	मु०अ०, मध्य गंगा, अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	
9	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	3	121	124	3	114	117	0	2	2	1- 02 बाद में सी०ए० दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2- 03 बाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी०ए० दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	88	12	100	72	12	84	3	0	3	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 13 वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
11	मु०अ०, परि० वेतवा, झांसी	103	12	115	87	11	98	16	1	17	
12	मु०अ०, जल संसाधन, लखनऊ	4	4	8	4	3	7	0	1	1	रिट याचिका संख्या-865/एस०एस०/2021 श्री धीरज कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त सहा० अभि० बनाम उ० प्र० सरकार व अन्य में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	143	15	158	139	14	153	4	1	5	
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	21	124	145	19	116	135	2	6	8	

15	मु0अ0,वाणसागर, प्रयागराज	22	3	25	19	3	22	3	0	3	
16	मु0अ0, सोन, वाराणसी	222	20	242	204	18	222	18	2	20	02 बादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
17	मु0अ0,सरयू-2, गोण्डा	36	36	72	27	33	60	9	3	12	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
18	मु0अ0, बेतवा, झांसी	40	8	48	40	8	48	0	0	0	
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	9	0	9	0	0	0	9	0	9	
20	मु0अ0कनहर, मिर्जापुर	24	1	25	23	1	24	1	0	1	
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
22	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
23	मु0अ0,यमुना ओखला नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी.ओखला, नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य है।
25	मु0अ0,नलकूप मध्य, लखनऊ	122	169	291	119	162	281	3	7	10	
26	मु0अ0,नलकूप वाराणसी	139	24	163	134	23	157	5	1	6	
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	38	133	171	36	131	167	2	2	4	
28	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	170	110	280	167	104	271	3	6	9	
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	35	17	52	28	15	43	7	2	9	
30	मु0अ0,अनु0 एवं नियो0, अलीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अयोध्या	0	0	0	0	0	0	0		0	
		1551	1116	2667	1433	999	2432	98	54	152	22बाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 61 बाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 22+61=83

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)  
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(नीरज कुमार)  
अधिसासी अभियन्ता (वि0 प्र0)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)